संख्या- 1/2017/42/चालीस-2017-बजट(08)/16

प्रेषक,

अशोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
लखनऊ/आजमगढ./मेरठ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2017

विषय: अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मण्डलायुक्त, लखनऊ के पत्र सं0-598/15-15(2008-09), दिनांक 09 दिसम्बर, 2016, मण्डलायुक्त, आजमगढ के पत्र संख्या-84/उ0मु0प0अ0/अन्तर्जातीय-अन्तधार्मिक वि0/धनावंटन/2016-17, दिनांक 05-1-2017 एवं मण्डलायुक्त, मेरठ के पत्र संख्या-1046/15-245/2008-2010, दिनांक 10-1-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधन विज्ञप्ति सं0-402/चालीस-10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित कर रू0 50,000/-(पचास हजार मात्र) किए जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति सं0-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 में दी गई शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 60,00,000/- (रू0 साठ लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से मण्डलायुक्त, लखनऊ को रू0 2,84,000/-(रू0 दो लाख चौरासी हजार मात्र), मण्डलायुक्त, आजमगढ को रू0 4,34,000/- (रू0 चार लाख चौतीस हजार मात्र) एवं मण्डलायुक्त, मेरठ को रू0 4,50,000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 11,68,000/- (ग्यारह लाख अरसठ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 में दी गई शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के.50 प्रतिशत + रा. 50 प्रतिशत) -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखामिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का व्यय 31 मार्च, 2017 तक सम्भव हो सके।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अशोक कुमार
सचिव।

संख्या-1/2017/42(1)चालीस-2017-बजट(08)/16,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, लखनऊ/उन्नाव/आजमगढ/बलिया/मऊ/मेरठ/बुलन्दशहर ।
(3) प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(4) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/आजमगढ/मेरठ ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in